

निर्वाचनी का संचालन नियम, 1961  
(कर्तृती नियम और आदेश)

प्रलमा 24क  
(नियम 85ख देखिए)

यह प्रलमा आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 के अन्तर्गत सर्वोत्तम वित्तीय वर्ष के दौरान चाहिए और इस आशय का एक प्रमाणपत्र आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अन्तर्गत पुरा का दाया करने के लिए।

1. राजनीतिक दल का नाम
2. राजनीतिक दल की प्रांगिणी  
(मान्यताप्राप्त/ अमान्यताप्राप्त)

3. राजनीतिक दल के मुख्यालय का पता

4. निर्वाचन आयोग के पास राजनीतिक दल के अन्तर्गत की तारीख

5. लोकीय चाला स. (पैन) और वह आय कर वाले/ लोकेल वह राजनीतिक दल की निवारणी का फाइल जी जानी है

6. वित्तीय वर्ष 2000/2001 के दौरान प्राप्त ऐसे अभिदायों के जो बीस हजार रुपए से ऊपर हैं, वौर

क्रम सं	आभिदायी व्यक्ति/ कंपनी का नाम और पुरा पता	पैन (यदि कोई हो) और आय-कर वाले साईट	अभिदाय की रकम	अभिदाय की शिरी (पैन/ कामरेप ड्राफ्ट/ नक्शा)	टिप्पणियाँ
0	Mil.	-	-	-	-

\*पैन संगवय ड्राफ्ट द्वारा संदाय की दशा में, उस बैंक या बैंक की शाखा का नाम जिस पर बैंक/ सांगवय ड्राफ्ट लिखा है।

7. ऐसे अभिदायी एक कंपनी है जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 239के अधीन अधिकारित अनुसालन की गया है (कंपनी से प्रभिप्राप्त इस आशय के प्रमाणपत्र की एक प्राप्त संलग्न की जानी चाहिए)।

सत्यापन

1. मैं नहीं संतुष्ट जानकारी और विश्वास के अनुसार, इस प्रलमा में दी गई जानकारी ठीक, पूरी और सही तौर पर बताई गई है।

2. यह घोषणा करता हूँ कि मैं, उम्र नामित राजनीतिक दल की ओर से, इस प्रलमा को सत्यापित कर रहा हूँ और मैं ऐसा करने के लिए सक्षम भी हूँ।

तारीख 20/11/2022  
स्थान

(प्रत्यक्ष/ प्रावित व्यक्ति का हस्ताक्षर और

राजेश लेठ  
राष्ट्रीय अध्यक्ष  
उत्तर राजनीतिक पार्टी  
राजेश लेठ

Rajesh